थान सरकार
(ग्रुप–6) विभाग

प0क:–6(6)राज–6/97/12 जयपुर, दिनांक:–12.8.2008

जिला कलेक्टर,
बीकानेर, जैसलमेर ,बाड़मेर,
हनुमानगढ़, गंगानगर।

परिपत्र

कुछ जिला कलेकटरर्स द्वारा राज्य के सीमावर्ती जिलो में भूमि आंवटन किये जाने के सबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस सबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

1. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर, (प्रथम) द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीमा से 20 कि0मी0 तक भूमि आवंटन नहीं करने एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम मे भूमि आवंटन के आवेदन पर स्थानीय पुलिस एवं इन्टेलीजेन्स विभाग से जांच करवाने के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हूए भूमि आंवटन के समय इन सुझावों को ध्यान में रखने के लिए इस विभाग के पत्र क0 6(6)राज–6/97 दिनांक 7.12.2004 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।
2. दिनांक 10.2.2005 को अति0 मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नाकिंत निर्णय लिये गये थे:–

वर्तमान भूमि आवंटन नीति के अनुसार अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से आधा कि0मी0 तक कोई भूमि आवंटन नहीं होगी तथा अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से आधा कि0मी0 से 1.5 कि0मी0 के बीच केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही भूमि आवंटित की जायेगी। इसके आगे अन्य को भूमि आवंटित होगी। यह आवंटन नीति भविष्य में भी निरन्तर जारी रहेगी।

अर्न्तराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि के आवंटन करते समय इस बात के हर संभव प्रयास किये जायें कि अवांछनीय व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लि'त लोग भूमि आवंटन न करा सकें। अत. अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से लगती हुई तहसीलों में जब भी सिंचित और असिंचित भूमि का आवंटन किया जावे तो आवंटियों की एक सूची आवश्यक विवरण सहित पुलिस अधीक्षकों को भिजवाई जावें। यदि व्यक्ति को आवंटन के सबंध में पुलिस अधीक्षक को आवंटन पर कोई आपत्ति हो तो इसे आवंटन प्राधिकारी के ध्यान में लाया जावेगा एवं ऐसे प्रकरणों में आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। सीमा सुरक्षा बल व इन्टेलीजेंस ब्यूरों पुलिस अधीक्षकों से लाईजन रखेगी।

अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से पास व घग्घर के नाडी क्षेत्र में 500 मीटर क्षेत्र में ऐसी कोई फसल नहीं बोई जावें जिसमें कोई आसानी से छिप सकें ताकि सीमा पर पेट्रोलिंग में समस्या न आये और कास बार्डर मूवमेंट पर चैक रहें।

इस निर्णय के अनुसार कार्यवाही हेतु इस विभाग प0क0 6(6)राज–6/97 दि0 3.3.2005 से निर्देश प्रसारित किये गये है जो प्रभावशील है।

3. मरूस्थलीय जिलो में भूमि के आवंटन के सबंध में इस विभाग के परिपत्र दि0 31.7.2002 के अनुसार संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जो आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का परीक्षण कर आवंटन योग्य होने का अनुमोदन करेगी। तत्पश्चात् प्रचलित नियमों के अनुरूप भूमि आंवटन की कार्यवाही की जा सकेगी। बारानी क्षेत्र में चारागाह तथा अन्य सार्वजनिक व लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ भूमि को आरक्षित करते हुए शेष बारानी भूमि के आवंटन की कार्यवाही उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए की जा सकती है।
4. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (द्वितीय चरण) में उपनिवशेन विभाग के पत्र क0 3(25)उप/1991 दि0 13.3.1991 द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को पत्र क0 3(25)उप/1991 दि0 18.6.2008 द्वारा हटा दी गई है।

आज्ञा से,

(आर0के0त्रिपाठी)
उप शासन सचिव